न्यायालय सहायककलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 177/2019

1. भागीरथ उर्फ भागचन्द पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी अमरपुरा त0 भादरा।

:–वादी

ब ना म

1. किरसन पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी अमरपुरा त0 भादरा।
2. एसबीआई (एसबीबीजे) भिरानी जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : जोत विभाजन अन्तर्गत

अन्तर्गत धारा 53 राज0काश्त0अधि 1955

आज यह वाद मुझ श्रीमति शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी तथा वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण मे वादी ने रोही मौजा अमरपुरा बारानी के खाता सं0 35/42 के मु0 न0 79 के किला न0 13 ता 15, मु0 न0 80 के किला न0 6/1, 6/2, 7 ता 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 16 मु0नं0 95 किला नं0 1/2, 2 ता 4, 7 ता 10 कुल 5.324है0 बारानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का खाता विभाजन करवाने हेतु पेश किया है। अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तथा तहसीलदार राजस्व भादरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश किया गया कि रोही मौजा अमरपुरा बारानी के खाता सं0 35/42 के मु0 न0 79 के किला न0 13 ता 15, मु0 न0 80 के किला न0 6/1, 6/2, 7 ता 11, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15, 16 मु0नं0 95 किला नं0 1/2, 2 ता 4, 7 ता 10 कुल 5.324है0 बारानी खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी भूमि का का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर मुताबिक अपनी रिर्पोट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 17.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान जोगीवाला में विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी तथा वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:–

<u>हिस्सा किरसन वल्द रामचन्द्र कौम जाट सा. देह</u> :– रोही मौजा अमरपुरा बारानी के खाता सं0 9 की मु0 न0 80 के किला न0 6/1 की 0.063है0, किला न0 6/2 की 0.164है0, किला न0 15 की 0.253है0, किला नं0 16 की 0.253है0, मु0 न0 95 किला न0 1/2 की

Scanned with CamScanner

0.114है0, किला न0 2 की 0.253है0, किला न0 3 की 0.253है0, किला नं0 4 की 0.253है0 किला नं0 7 ता 10 की 1.012है0 कुल किता 12 कुल रकबा 2.618है0 ।

हिस्सा भागीरथ वल्द रामचन्द्र कौम जाट सा. देह :- रोही मौजा अरमपुरा बारानी के खाता सं0 9 के मु0 न0 79 के किला न0 13 ता 15 की 0.759है0, मु0नं0 80 के किला न0 7 की 0.240है0, किला न0 8 ता 11 की 1.012है0, किला नं0 12/1 की 0.228है0, किला नं0 12/2 की 0.013है0, किला नं0 13/1 की 0.126है0, 13/2 की 0.101है0, 14/1 की 0.025है0, 14/2 की 0.202है0 कुल किता 14 कुल रकबा 2.706है0।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। तहसीलदार (राजस्व) भादरा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव नक्शा को पर्चा डिक्री का भाग समझा जावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.03.2022 को हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner